न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

1. रामबाबू पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी पुरानी नगरपालिका के पास करौली
2. मुकेश पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी पुरानी नगरपालिका के पास करौली
3. मनोज पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी पुरानी नगरपालिका के पास करौली
4. घनश्याम पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी 116 / 114 शिप्रा पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
5. सुरेश पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी 116 / 114 शिप्रा पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
6. श्यामस्वरूप पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी डी–12, आशीर्वाद नगर रूप सागर रोड उदयपुर
7. सुशीला पत्नि रमेश पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासी सब्जी मण्डी, करौली
8. गुड्डी उर्फ मिथलेश पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासी पुरानी नगरपालिका के पास करौली
9. विनीता पत्नि ओमप्रकाश पुत्री मदनलाल जाति महाजन मकान नं. 55 नंद विहार प्रताप नगर, जयपुर
10. सरस्वती पत्नि मदनलाल जाति महाजन निवासी पुरानी नगरपालिका के पास करौली

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–10.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0–04 बीघा ग्राम करसाई तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0–04 बीघा ग्राम करसाई सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै. मु. नला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 136 किस्म बारानी–2 से श्री गूजरमल पुत्र श्री देवीलाल निवासी करसाई हाल करौली के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में मदनलाल पुत्र गूजरमल महाजन सा. करौली तहसील करौली जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मदनलाल फौत हो चुका है। अप्रार्थीगण, मदनलाल के वारिसान हैं। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0–04 बीघा बाके ग्राम करसाई को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2071–2074 नामांतरकरण संख्या 136, ना0 सं0 150, नां0 सं0 206 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि नोटिस कतई बेबुनियाद निराधार प्रार्थीगण को दिया गया है जो कतई गलत है स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि खसरा नं. 1210 रकबा 4 बिस्वा भूमि गै.मु. नाला ना होकर सैटिलमेंट पूर्व से प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है जिसका साबिक खसरा नं. 889 मि. रहा है। मिलान क्षेत्रफल व सम्वत 2010 से 2013 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति सबूतन पेश है जिससे उनके पूर्वज गूजरा वल्द देवीराम महाजन की 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके करसाई में स्थित होना साबित है। इस भूमि के मध्य में होकर पहाड़ का पानी बहता है जिससे कोई भूमि नाला नहीं होती है। प्रार्थीगण की भूमि मौके पर ट्रेस से नाप कराई जा सकती है। वर्तमान जमाबंदी भूमि खसरा नं. 1209 रकबा 6 बिस्वा, 1210 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1212 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। कोई नाला मौके पर मौजूद नहीं है। रेफरेन्स बगैर किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टी गै.मु. नाला सम्वत 2015 की सैटिलमेंट पर्चा के आधार पर बनाया गया है जो नियम विरूद्ध व गैर कानूनी है। सेटिलमेंट कर्मचारी को पूर्व से चली आ रही खातेदारी भूमि प्रार्थीगण को बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बदलने का कोई विधिक अधिकारी नहीं है बल्कि नियमानुसार 2010 से 2013 जमाबंदी अनुसार पूर्व जमाबंदी की प्रविष्टी बदस्तूर पूर्ववत करना चाहिये था। ऐसा ना करके विधि की गम्भीर त्रुटि की है। इसलिये रेफरेंस 82 एल.आर.एक्ट प्रार्थीगण के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है, कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है। अंत में जबाव पेश कर रेफरेंस खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2010–2013 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गोंडाखाकी दर्ज थी जो अप्रार्थीगण के पूर्वज गूजर वल्द देवीलाल कौम महाजन सा. देह के नाम दर्ज थी। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0–04 बीघा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 136 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1210 किस्म बारानी–2 रकबा 0–04 गूजरमल पुत्र देवीलाल महाजन निवासी करसाई हाल आबाद करौली के नाम स्वीकार किया गया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 1210 किस्म बारानी–2 रकबा 0–04 मदनलाल पुत्र गूजरमल महाजन निवासी करौली अंकित है। मदनलाल फौत हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण हैं। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन संवत् 2010–13 में गोंडाखाकी एवं संवत् 2015 एवं उसके पश्चात् गै.मु. नला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि नियमित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम करसाई की आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0–04 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:41:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: